

न्यायालय ए०सी०जे०एम०/सिविल जज (सी०डि०), कुशीनगर, स्थान-पडरौना।

सरकार बनाम विद्यासागर आदि

मुकदमा संख्या- 1492/2020

थाना-कप्तानगंज, जिला-कुशीनगर

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3514/2026

13.08.2026

एन०सी०आर०सं०-265/2012, धारा-323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर के मामले में अभियुक्तगण विद्यासागर व सेवक की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से समक्ष न्यायालय उपस्थित। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। वे निर्दोष हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनको फर्जी रूप से फसाया गया है। वह जमानत मुचलका देने को तैयार हैं। अतः अभियुक्तगण को जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। जमानत का आधार पर्याप्त है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु० बीस हजार रुपये की एक जमानत एवं इतने ही धनराशि के निजी बन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।

ए०सी०जे०एम०/सिविल जज (सी०डि०),

कुशीनगर, स्थान-पडरौना।